सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
वैशाख 4, बुधवार, शाके 1935–अप्रेल 24, 2013 *Vaishakha 4, Wednesday, Saka 1935–April 24, 2013*	

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 24, 2013

संख्या प. 2 (21) विधि/2/2013.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 22 अप्रेल, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 17)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 22 अप्रेल, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं.16), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (तक) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (थ) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(तख) "पदाधिकारी" से, किसी सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें किसी सहकारी सोसाइटी

की समिति द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;"।

3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उपविधियों के उपबंधों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "का पालन करने में असफल रहा है," के पूर्व आयी अभिव्यक्ति ",यदि कोई हों," हटायी जायेगी।

4. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 18 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 18 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जब तक कि उसने सोसाइटी को सदस्यता के संबंध में ऐसे संदाय न कर दिये हों या" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में संदाय को सम्मिलित करते हुए, सोसाइटी के समस्त शोध्यों के संबंध में संदाय न कर दिये हों या सेवाओं का ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त न कर लिया हो या" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उपाध्यक्ष" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "द्वारा किया जायेगा" के पूर्व अभिव्यक्ति " या धारा 30 के अधीन नियुक्त प्रशासक " अन्त:स्थापित की जायेगी।

6. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 21 में अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न " । " के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु अरबन को-आपरेटिव बैंक का कोई व्यष्टिक सदस्य, सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी के अधिकतम बीसवें भाग तक ही शेयर धारण करेगा।"।

7. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक सहकारी सोसाइटी" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए" के पूर्व अभिव्यक्ति

"वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर" अन्त:स्थापित की जायेगी।

8. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 27 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"27. समिति की नियुक्ति.- (1) किसी सहकारी सोसाइटी का साधारण निकाय सोसाइटी के कार्याकलापों का प्रबन्ध उपविधियों के अनुसार गठित समिति को न्यस्त करेगा:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के मामले में, ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने के आवेदन पर हस्ताक्षर किये हैं, सोसाइटी के कार्यकलापों के संचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन मास की कालावधि के लिए कोई समिति नियुक्त कर सकेंगे, किन्तु इस परन्तुक के अधीन नियुक्त समिति, ऐसी किसी नयी समिति, जिसका गठन उपविधियों के अनुसार तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा, के गठन पर कृत्य करना बन्द कर देगी।

(2) समिति में सदस्यों की ऐसी संख्या होगी जैसीकि उपविधियों में विहित की जाये:

परन्तु समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि समिति के बारह सदस्य सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे:

परन्तु यह भी कि किसी सहकारी सोसाइटी की समिति जो सदस्यों के रूप में व्यष्टियों से मिलकर बनी हो और जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा स्त्रियों के वर्ग या प्रवर्ग से सदस्य हों, एक स्थान अनुसूचित जातियों के लिए, एक स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए और दो स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे।

(3) सहकारी सोसाइटी की समिति बैंककारी, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या सहकारी सोसाइटी के

उद्देश्यों और इसके द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले इतने व्यक्तियों को समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित करेगी, जितने उपविधियों में विनिर्दिष्ट किये जायें:

परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट समिति के इक्कीस सदस्यों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि किसी सहकारी सोसाइटी के कृत्यकारी निदेशक भी समिति के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों को, प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा।

(4) समिति के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि समिति की अवधि की सहावसानी होगी:

परन्तु समिति, किसी आकस्मिक रिक्ति को नामनिर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधि के आधे से कम हैः

परन्तु यह और कि यदि समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति हो गयी है और समिति की अवधि उसकी मूल पदावधि के आधे से अधिक है, तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नामनिर्देशन या यथास्थिति, सहयोजन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार निर्वाचित, नामनिर्देशित या, यथास्थिति, सहयोजित सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) धारा 29 के अधीन नामनिर्देशित या उप-धारा (3) के अधीन सहयोजित सदस्य को सम्मिलित करते हुए समिति का प्रत्येक सदस्य एक मत देने का हकदार होगा:

परन्तु धारा 29 के अधीन नामनिर्देशित या उप-धारा (3) के अधीन सहयोजित सदस्यों को ऐसे सदस्यों के रूप में उनकी हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मतदान

करने का या समिति के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का कोई अधिकार नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, समिति द्वारा पारित किये गये संकल्प से विसम्मति रखता हो, वहां वह ऐसी विसम्मति के बारे में सूचना एक सप्ताह के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार को देगा।"।

9. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 28 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"28. समितियों की सदस्यता इत्यादि के लिए निरर्हता.-(1) कोई भी व्यक्ति, एक ही समय में, एक से अधिक शीर्ष सोसाइटी या एक से अधिक केन्द्रीय सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, यथापूर्वोक्त किसी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन की तारीख को किसी दूसरी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी का पहले से अध्यक्ष है तो उसका पश्चातवर्ती निर्वाचन पूर्वोक्त निर्वाचन से चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर शून्य समझा जायेगा, जब तक कि वह पूर्वोक्त दोनों शीर्ष या, यथास्थिति, दोनों केन्द्रीय सोसाइटियों में से किसी एक के अध्यक्ष पद से, ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, त्यागपत्र न दे दे।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित होने के लिए या समिति का सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह उस सोसाइटी या किसी भी अन्य सोसाइटी का, उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो संबंधित सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है या किसी भी स्थिति में तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी है:

परन्तु यह निरर्हता किसी सदस्य-सोसाइटी पर लागू नहीं होगी।

(4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष सहकारी बैंक

की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित ओर नामनिर्देशित होने के लिए, या समिति का सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह-

(i) किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसी सोसाइटी उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसे बैंक के प्रति नब्बे दिन से अधिक की कालावधि से व्यतिक्रमी है;

(ii) ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का व्यतिक्रमी है या ऐसी किसी व्यतिक्रमी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए, प्रतिनिधि है, जब तक कि व्यतिक्रम दूर न कर दिया जाये; और

(iii) ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी समिति अतिष्ठित कर दी गयी है या जो उसकी स्वयं की सोसाइटी की समिति में सदस्य न रहा हो।

(5) राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम सं.1) में यथा परिभाषित कोई भी साहूकार, नियमों के अधीन यथावर्गीकृत किसी सेवा सहकारी सोसाइटी का अधिकारी निर्वाचित या सहयोजित होने के लिए पात्र नहीं होगा और जहां ऐसी सोसाइटी का यथापूर्वोक्त कोई अधिकारी साहूकारी का कारोबार प्रारम्भ कर देता है तो वह, तदुपरान्त ऐसी सोसाइटी का अधिकारी नहीं रहेगा।

(6) किसी समिति का कोई भी सदस्य, जिसे धारा 30 के अधीन हटा दिया गया है, ऐसे हटाये जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए किसी भी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन, सहयोजन या नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा:

परन्तु धारा 30 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में वर्णित आधार पर, जिस समिति के स्थान पर प्रशासक रखा गया है, उस समिति का कोई सदस्य इस उप-धारा के अधीन निरर्हित नहीं समझा जायेगा।

(7) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 57 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया हो, ऐसा आदेश अपास्त न किये जाने की स्थिति में, ऐसी तारीख से, जिसको वह धन या अन्य सम्पत्ति या उसके भाग का ब्याज सहित प्रति-संदाय या प्रत्यावर्तन करता है या ऐसे आदेश कि तुष्टि में अभिदाय और खर्चे या प्रतिकर का संदाय करता है, पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति तक किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन, सहयोजन या नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।

(8) ऐसा कोई व्यक्ति -

(i) जिसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.45) की धारा 120ख, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 447, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 या 477क के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए संज्ञान किया गया है और जो विचारण के अधीन है, किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित होने या उसमें बने रहने का पात्र नहीं होगा; या,

(ii) जिसको सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और तीन मास या उससे अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, ऐसे दण्डादेश को तत्पश्चात् उलट न दिये जाने या उसका परिहार न किये जाने या उस अपराधी को क्षमा न किये जाने की स्थिति में, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित किये जाने या उसमें बने रहने का पात्र नहीं होगा।

(9) कोई भी व्यक्ति समिति का अध्यक्ष और संघ मंत्रि-परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् का सदस्य, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान, दोनों, नहीं रहेगा और, यदि वह पहले ही संघ मंत्रि-परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद का प्रमुख या किसी

पंचायत समिति का प्रधान है तो वह, उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी समिति का अध्यक्ष बनता है, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष नहीं रह जायेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह संघ मंत्रि-परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् में अपने स्थान से या, उस पद से, जो वह जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत में धारित करता है, त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी समिति का अध्यक्ष पहले से है, संघ मंत्रि-परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् के सदस्य या किसी जिला परिषद् के प्रमुख या किसी पंचायत समिति के प्रधान के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो संघ मंत्रि-परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या, यथास्थिति, किसी पंचायत समिति का प्रधान निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर ऐसी समिति का अध्यक्ष नहीं रहेगा, जब तक कि वह संघ मंत्रि-परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् में अपने स्थान से या उस पद से, जो वह जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत समिति में धारित करता है, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु यह और कि वह समिति का सदस्य या निदेशक बन सकेगा।

(10) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन, सहयोजन या नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा, यदि उसके दो से अधिक संतानें हैं:

परन्तु कोई व्यक्ति, जिसके दो से अधिक संतानें हैं, इस उप-धारा के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि 10.7.1995 को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, जहां 10.7.1995 को दम्पत्ति के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक संतान हो और तत्पश्चात् किसी एक ही पश्चातवर्ती प्रसव से जन्मी संतानों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

(11) समिति का कोई भी सदस्य, जो अध्याय 5 के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना या सहायता उपलब्ध कराने में असफल रहा है, ऐसी असफलता की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित होने का पात्र नहीं होगा।

(12) इस बारे में कोई भी प्रश्न कि आया समिति का कोई सदस्य इस धारा या नियमों के अधीन उल्लिखित किन्हीं भी निरर्हताओं के अध्यधीन हो गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा और समस्त अन्य समयों पर रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।"।

10. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**30. समिति या उसके सदस्य का हटाया जाना.-** (1) जहां-

(क) सहकारी सोसाइटी की समिति,-

(i) लगातार व्यतिक्रम करती है; या

(ii) इस अधिनियम या नियमों या उप-विधियों द्वारा उस समिति या सदस्य पर अधिरोपित अपने कर्तव्यों के अनुपालन में उपेक्षा करता है; या

(iii) सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करती है; या

(ख) समिति के गठन या उसके कृत्यों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है; या

(ग) विद्यमान समिति की अवधि समाप्त हो गयी है और राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नयी समिति के लिए निर्वाचन कराने में असफल रहा है,

वहां किसी प्राथमिक सोसाइटी के मामले में जोनल रजिस्ट्रार, किसी केन्द्रीय सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार, सहकारी

सोसाइटी, राजस्थान, और किसी शीर्ष सोसाइटी के मामले में राज्य सरकार, समिति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, समिति को हटा सकेगी और समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, किसी सरकारी सेवक को, छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु जहां कोई सरकार का शेयर धारण या सरकार द्वारा कोई उधार या वित्तीय सहायता या कोई प्रत्याभूति नहीं हो, वहां किसी सोसाइटी की समिति अतिष्ठित नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि बैंककारी का कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं.10) के उपबंध भी लागू होंगे:

परन्तु यह भी कि बैंककारी का कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस खण्ड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों कि "छह मास" शब्द के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे गये थे ।

(2) यदि समिति का कोई भी सदस्य, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के द्वारा उस पर अधिरोपित किये जाने वाले कर्त्तव्यों का पालन करने में लगातार व्यतिक्रम करता है या उपेक्षा करता है या समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो किसी प्राथमिक समिति की दशा में जोनल रजिस्ट्रार, किसी केन्द्रीय समिति की दशा में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान और किसी शीर्ष समिति की दशा में राज्य सरकार, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे सदस्य को, लिखित आदेश द्वारा, हटा सकेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक,-

(क) उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर निर्वाचनों का संचालन करने के लिए व्यवस्था करेगा और निर्वाचित समिति को प्रबन्धन सौंपेगा; और

(ख) प्रशासक को, नयी समिति के निर्वाचित होने तक, रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे निदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचित समिति के समस्त कृत्यों या कृत्यों में से किसी भी कृत्य का पालन करने की शक्ति होगी और ऐसी समस्त कार्रवाईयां करने की शक्तियां होंगी, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों ।"।

11. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 32 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**32. सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन.-** समिति का निर्वाचन उस समिति की अवधि के अवसान के पूर्व संचालित किया जायेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समिति के नव-निर्वाचित सदस्य, पदावरोही समिति के सदस्यों की पदावधि के अवसान होते ही तुरन्त पद ग्रहण करलें ।"।

12. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 33 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**33. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी और उसके कृत्य.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, जिसे इस अध्याय में आगे प्राधिकारी कहा गया है, के रूप में नियुक्त करेगी और ऐसे प्राधिकारी की सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी और अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्दों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

(3) किसी सहकारी सोसाइटी के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, प्राधिकारी में निहित होगा।

(4) राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत विहित कर सकेगी।

(5) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, जोन स्तर पर पदस्थापित जोनल रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी और इकाई स्तर पर पदस्थापित इकाई अधिकारी क्रमश: पदेन जोनल रिटर्निंग अधिकारी और इकाई रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और प्राधिकारी द्वारा उन्हें न्यस्त कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(6) धारा 27 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकारी, किसी सोसाइटी की समिति में होने वाली आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए ऐसी रिक्ति के होने के छह मास के भीतर-भीतर समिति की शेष अवधि के लिए निर्वाचनों का संचालन करेगा।"।

13. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**34. निर्वाचनों का उपक्रम.-** (1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपनी समिति और उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए, विद्यमान समिति की अवधि की समाप्ति के छह मास पूर्व ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, लिखित सूचना प्राधिकारी को भेजेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समिति में किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् लिखित सूचना भी भेजेगा।

(2) किसी सोसाइटी की समिति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी प्राधिकारी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे, अद्यतन हैं और प्राधिकारी या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को समय पर उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

(3) सोसाइटी की समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सोसाइटी प्राधिकारी को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराती है जिसकी निर्वाचन के संचालन के लिए उसके द्वारा अपेक्षा की जाये।

(4) किसी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन की प्रक्रिया एक बार प्रारम्भ होने के पश्चात्, प्राकृतिक आपदा या कानून और व्यवस्था के भंग होने की परिस्थिति को छोड़कर, किसी भी कारण से रोकी या मुल्तवी नहीं की जायेगी।"।

14. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**54. लेखे और लेखापरीक्षा.-** (1) प्रत्येक सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अपने लेखे, विहित प्ररूप और रीति से तैयार और संधारित करेगी।

(2) प्रत्येक सोसाइटी, सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित पैनल में से नियुक्त लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवायेगी:

परन्तु किसी भी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म को लगातार दो वर्ष से अधिक के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) प्रत्येक सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की, जिससे ऐसे लेखे संबंधित हैं, समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर की जायेगी।

(4) रजिस्ट्रार, उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, विहित रीति से, पात्र लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों का पैनल तैयार, अनुमोदित और अधिसूचित करेगा।

(5) सोसाइटियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए पात्र लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव निम्नलिखित होगा, अर्थात्:-

(क) लेखापरीक्षक के मामले में,-

(i) वह चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं.38) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट हो और उसे अर्हता

पश्चात् लेखाओं की संपरीक्षा करने का तीन वर्ष का अनुभव हो; या

(ii) वह राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग में सेवारत व्यक्ति हो और सहकारी सोसाइटियों की लेखापरीक्षा को संचालित करने के लिए नियुक्त और प्राधिकृत हो और उसके पास "नेशनल काउन्सिल फार कॉपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली" के द्वारा सहकारी लेखा में दिया गया डिप्लोमा हो; और

(ख) लेखापरीक्षा फर्म के मामले में, वह चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं.38) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउण्टेण्टों की फर्म हो और उसे लेखाओं की लेखापरीक्षा का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

(6) लेखापरीक्षा का खर्चा संबंधित सोसाइटी द्वारा निर्धारित और संदत्त किया जायेगा:

परन्तु उप-धारा (5) के खंड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षकों की फीस राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

(7) सोसाइटी, लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म को सोसाइटी की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागजपत्रों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच को सुगम बनायेगी।

(8) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सोसाइटी का कोई अधिकारी, या कर्मचारी या एजेंट है या किसी भी समय रहा है और सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य और भूतपूर्व सदस्य, सोसाइटी के संव्यवहारों और कार्यकरण के संबंध में ऐसी सूचना देगा, जिसकी लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म अपेक्षा करे।

(9) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म को सोसाइटी के सभी नोटिस और वार्षिक साधारण बैठक में संबंधित

प्रत्येक संसूचना प्राप्त करने का और ऐसी बैठक में उपस्थित होने और उसमें सुने जाने का अधिकार होगा।

(10) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्ररूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सोसाइटी को प्रस्तुत करेगी।

(11) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म, जो लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करती है, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक और रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित करेगी।

(12) रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुरोध किया जाये तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत रीति और प्ररूप में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा करवाये जाने को सुनिश्चित करेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक को नियत समय के भीतर-भीतर रिपोर्ट भी देगा।

(13) सोसाइटी, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा उस पर विचार और अनुमोदन के पश्चात्, उसकी अनुपालन रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी संबद्ध सोसाइटी को भेजेगी।

(14) रजिस्ट्रार, शीर्ष सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उसे राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

(15) यदि राज्य विधान-मण्डल, उसके समक्ष रखी गयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर कोई निदेश या सिफारिश करने का संकल्प करता है तो सोसाइटी यथाशक्य शीघ्र उन निदेशों या यथास्थिति, सिफारिशों का अनुपालन करेगी।"।

15. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 62 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 62 के खंड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

16. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 67 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 67 में,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अल्पकालिक और मध्यम अवधि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दीर्घकालीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान खण्ड (ख) को खण्ड (ग) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित खण्ड (ग) के पूर्व निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"(ख) राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित विशेष स्कीमों के अधीन या इस हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित प्रयोजनों के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जायें, अल्पकालिक और मध्यम अवधि उधार देने वाले भूमि विकास बैंक;"; और

(iii) स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (ii) में, अंत में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "और" हटायी जायेगी और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii-क) "दीर्घकालीन उधार" से ऐसा उधार अभिप्रेत है जो न तो अल्पकालिक और न ही मध्यम अवधि उधार हो; और "।

17. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 74 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 74 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"74. उधार देने के आवेदनों पर व्यवहार करने की रीति.- जब धारा 67 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए उधार हेतु आवेदन किया जाये तो भूमि विकास बैंक, ऐसे आवेदन पर, उचित जांच के पश्चात् और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, विचार करेगा।"।

18. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 104 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (2) का विद्यमान खण्ड (घ) हटाया जायेगा।

19. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 105 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 105 की उप-धारा (10) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 28 की उप-धारा (5)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 28 की उप-धारा (12)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 109 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 109 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " उप-धारा (2) " के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (3)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कटौतियां करने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कटौतियां करने और इस प्रकार काटी गयी रकम संदत्त करने" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) खण्ड (ज) में विद्यमान अभिव्यक्ति "30, 31, 54, 55, 60 या 63 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को", के स्थान पर अभिव्यक्ति "30, 31, 55, 60, 63 या 122-क के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को या धारा 54 के अधीन नियुक्त लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म को" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(घ) विद्यमान खण्ड (द) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(द) कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त कारण के बिना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किये गये किसी समन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है; या "; और

(ङ) इस प्रकार संशोधित खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ध) कोई व्यक्ति, जो समिति के सदस्यों या इसके पदाधिकारियों के निर्वाचन के पहले, उसके दौरान या पश्चात् कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है।"; और

(ii) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान खण्ड (द) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(द) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (द) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से;"; और

(ख) इस प्रकार संशोधित खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ध) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ध) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से।"।

21. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 122-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 122 के पश्चात् और विद्यमान धारा 123 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**122-क. विवरणियों का फाइल किया जाना.-** प्रत्येक सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेगी, अर्थात्:-

(क) अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

(ख) अपने लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण;

(ग) अधिशेष के व्ययन के लिए योजना, जो सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो;

(घ) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हों, की सूची;

(ङ) अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे में घोषणा; और

(च) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय-समय पर अपेक्षा करे।"।

22. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की अनुसूची-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची-ख के पैरा (1) के विद्यमान उप-पैरा (घ) के पश्चात् और विद्यमान उप-पैरा (ङ) के पूर्व निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घक) सोसाइटी की सेवाओं के न्यूनतम आवश्यक उपयोग के बारे में या सोसाइटी की बैठकों में न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति के बारे में या सोसाइटी के साथ अन्य संव्यवहारों के बारे में मानक, जो सदस्य द्वारा पूर्ण किये जायेंगे;"।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, April 24, 2013

No. F. 2 (21) Vidhi/2/2013.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to

authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Sahakari Society (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (2013 Ka Adhiniyam Sankhyank 17):–

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2013

(Act No. 17 of 2013)

[Received the assent of the Governor on the 22th day of April, 2013]

An

Act

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 2 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001(Act No. 16 of 2002), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, after the existing clause (pa) and before the existing clause (q), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(pb) "office bearer" means a Chairperson or Vice-Chairperson of a co-operative society and includes any other person to be elected by the committee of a co-operative society; ".

3. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In sub- section (2) of section 16 of the principal Act, the existing expression ", if any,", appearing after the existing expression "provisions of the bye-laws" and before the existing expression "regarding minimum essential utilisation", shall be deleted.

4. Amendment of section 18, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 18 of the principal Act, for the existing expression " unless he has made such payments to the society in respect of membership or", the expression "unless he has made payments in respect of all dues to the society including the payment in respect of membership or availed such minimum level of services or" shall be substituted.

5. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In clause (a) of sub-section (2) of section 20 of the principal Act, after the existing expression "Vice-Chairperson" and before the existing expression "shall", the expression "or an Administrator appointed under section 30" shall be inserted.

6. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 21 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that an individual member of Urban Co-operative Bank shall hold shares only upto a maximum of the one twentieth to the total share capital of the society.".

7. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In sub-section (1) of section 25 of the principal Act, after the existing expression "society shall" and before the existing expression "call in the manner prescribed", the expression ",within a period of six months of close of the financial year, " shall be inserted.

8. Amendment of section 27, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 27 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**27. Appointment of Committee.-**(1) The general body of a co-operative society shall entrust the management of the affairs of the society to a committee constituted in accordance with the bye-laws:

Provided that in the case of a society registered after the commencement of this Act, the persons who have signed the application to register the society may appoint a committee to conduct the affairs of the society for the period of three months from the date of the registration, but the committee appointed under this proviso shall cease to function upon the constitution of a new committee which shall be constituted in accordance with the bye-laws within the said period of three months.

(2) The committee shall have such number of members as prescribed in the bye-laws:

Provided that the maximum number of the members of the committee shall not exceed twenty one:

Provided further that twelve members of the committee shall be elected by the general body of the society:

Provided also that one seat for the Scheduled Castes, one seat for the Scheduled Tribes and two seats for women shall be reserved in the committee of a co-operative society consisting of individuals as members and having members from such class or category of persons.

(3) The committee of a co-operative society shall co-opt such number of persons having experience in field of banking, management, finance or specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by the co-operative society as members of the committee as may be specified in the bye-laws:

Provided that the number of such co-opted members shall not exceed two in addition to twenty one members of the committee specified in the first proviso of sub-section (2):

Provided further that the functional directors of a co-operative society shall also be the members of the committee and such members shall be excluded for the

purpose of counting the total number of members of the committee specified in the first proviso.

(4) The term of office of the elected members of the committee and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers shall be co-terminus with the term of the committee:

Provided that the committee may fill a casual vacancy on the committee by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the committee is less than half of its original term:

Provided further that if a causal vacancy on the committee has arisen and the term of office of the committee is more than half of its original term, such vacancy shall be filled up by election, nomination or co-option, as the case may be, and the member so elected, nominated or co-opted, as the case may be, shall hold the office for the remainder of the term.

(5) Each member of the committee, including the members nominated under section 29 or co-opted under sub-section (3), shall be entitled to cast one vote:

Provided that members nominated under section 29 or co-opted under sub-section (3), shall not have any right to vote in any election of the co-operative society in their capacity as such members or to be eligible to be elected as office bearers of the committee:

Provided further that where the member nominated by the State Government has any dissent with the resolution passed by the committee, he shall inform the Registrar about such dissent within a week.".

9. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 28 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**28. Disqualification of membership etc. of committees.**- (1) No person shall, at the same time, be a Chairperson of more than one apex society, or more than one central society.

(2) If a person, on the date of his election as a Chairperson of an apex or a central society as aforesaid, is already a Chairperson of another apex or central society, his later election shall be deemed to be void on the expiry of a period of fourteen days from the above election, unless he resigns from the chairpersonship of one of the above two apex or two central societies, as the case may be, within such period.

(3) No person shall be eligible for being elected, co-opted or nominated as a member of a committee or for continuing as member on the committee if he is in default to the society or to any other society, in respect of any loan or loans taken by him for such period as is specified in the bye-laws of the society concerned or in any case for a period exceeding three months:

Provided that this disqualification shall not apply on a member society.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), no person shall be eligible for being elected, co-opted or nominated, or for continuing as a member of the committee of a Central Co-operative Bank or the Apex Co-operative Bank, if he-

(i) represents a society other than a primary agricultural credit society and such society is in default to such bank, in respect of any loan or loans taken by it for a period exceeding ninety days;

(ii) is a person who is defaulter of a primary agricultural credit society or is a representative of a defaulting primary agricultural credit society for a period exceeding one year unless the default is cleared ; and

(iii) is a person, who represents a society whose committee is superseded or has ceased to be a member of the committee of his own society.

(5) No money lender as defined in the Rajasthan Money Lenders Act, 1963 (Act No. 1 of 1964) shall be eligible for being elected or co-opted as an officer of a service co-operative society, as classified under the rules, and where an officer of such society as aforesaid starts money lending business, he shall, thereupon, cease to be an officer of such society.

(6) No member of a committee, who has been removed under section 30, shall be eligible for election, co-option or nomination as a member of any committee for a period of five years from the date of such removal:

Provided that a member of the committee replaced by an Administrator on the ground mentioned in clause (c) of sub-section (1) of section 30, shall not be deemed disqualified under this sub-section.

(7) No person against whom an order under section 57 has been passed, such order not having been set aside, shall be eligible for election, co-option or nomination as a member of a committee until the expiry of a period of five years from the date he repays or restores the money or other property or part thereof with interest or pay contribution and cost or compensation in satisfaction of such order.

(8) No person-

(i) against whom a competent court has taken cognizance for an offence punishable under section 120B, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 447, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 or 477A of the Indian Penal Code, 1860

(Central Act No. 45 of 1860) and is under trial shall be eligible to be elected, co-opted or nominated or to continue as a member of the committee of a society; or

(ii) who has been convicted of any offence by a competent court and sentenced to imprisonment for three months or more, such sentence not having been subsequently reversed or remitted or the offender pardoned, shall be eligible to be elected, co-opted or nominated or to continue as a member of the committee of a society for a period of five years from the date of such conviction.

(9) No person shall remain both a Chairperson of a committee and a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the Pramukh of a Zila Parishad or the Pradhan of a Panchayat Samiti and, if already a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, he shall, at the expiration of a period of fourteen days from the date he becomes a Chairperson of such committee, cease to be such Chairperson of such committee unless, before such expiration, he resigns his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be :

Provided that a person who is already a Chairperson of a committee is elected as a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, then at the expiration of fourteen days from the date of being elected as a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, as the case

may be, he shall cease to be such Chairperson of the committee unless he has previously resigned his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be :

Provided further that he may become member of the committee or a Director.

(10) No person shall be eligible for election, co-option or nomination as a member of the committee if he has more than two children:

Provided that a person having more than two children shall not be disqualified under this sub-section for so long as the number of children he had on 10-07-1995 does not increase.

Explanation.- For the purpose of this sub-section, where the couple has only one child from the earlier delivery or deliveries on 10-07-1995 and thereafter, any number of children born out of a single subsequent delivery shall be deemed to be one entity.

(11) No member of a committee, which has failed to provide the required information or assistance to the State Co-operative Election Authority under Chapter V shall be eligible for election, co-option or nomination as a member of the committee for a period of five years from the date of such failure.

(12) Any question as to whether a member of the committee has become subject to any of the disqualifications mentioned under this section or the rules shall be decided by the Election Officer during the process of election and by the Registrar at all other times.".

10. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 30 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**30. Removal of Committee or Member thereof.-** (1) Where-

(a) the committee of a co-operative society

(i) persistently makes default; or

(ii) is negligent in the performance of its duties imposed on it or him by this Act or the rules or the bye-laws ; or

(iii) commits any act prejudicial to the interest of the society or its members; or

(b) there is stalemate in the constitution or functions of the committee; or

(c) the term of the existing committee has expired and the State Co-operative Election Authority has failed to conduct elections for a new committee in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder,

the Zonal Registrar, in case of primary society, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, in case of a central society and the State Government in case of an apex society may, after giving the committee a reasonable opportunity of being heard, by order in writing, remove the committee and appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society for a period not exceeding six months:

Provided that the committee of a society shall not be superseded where there is no Government share holding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government:

Provided further that in case of a co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) shall also apply:

Provided also that in case of a co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of this clause shall have effect as if for the words "six months", the words "one year" had been substituted.

(2) If any member of the committee persistently makes default or is negligent in the performance of his duties imposed by this Act or the rules or the bye-laws made thereunder or commits any act prejudicial to the interest of the society or its members, the Zonal Registrar, in case of primary society, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, in case of a central society and the State Government in case of an apex society may, after giving a reasonable opportunity of being heard, remove such member by order in writing.

(3) The Administrator appointed under sub-section (1) shall,-

(a) arrange for conduct of elections within the period specified in that sub-section and hand over the management to the elected committee; and

(b) till the time the new committee is elected, subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may from time to time give, have powers to perform all or any of the functions of the elected committee and take all such actions as may be required in the interest of the society.".

11. Amendment of section 32, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- *For the existing section 32 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-*

*"**32. Election of Co-operative Society.-** The Election of a committee shall be conducted before the expiry of the term of the committee so as to ensure that the newly elected members of the committee assume office immediately on the expiry of term of the office of members of the outgoing committee.".*

12. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- *For the existing section 33 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-*

*"**33. State Co-operative Election Authority and its function.-** (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint an officer of the State Government, as the State Co-operative Election Authority, hereinafter in this Chapter referred to as the Authority, in such manner, as may be prescribed, and may appoint such other officers and staff to assist such Authority, as it may deem fit.*

(2) The terms and conditions of the service of the Authority and other officers and staff appointed under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to a co-operative society shall vest in the Authority.

(4) The State Government may prescribe procedure and guidelines for conduct of elections to the co-operative societies.

(5) For the purpose of this Chapter, the Zonal Registrars, Co-operative Societies posted at zone level and Unit officer posted at the unit level shall act as ex-officio Zonal Returning Officer and Unit Returning Officer respectively and shall be answerable to the Authority for discharging the duties entrusted to them by the Authority.

(6) Subject to the provisions of sub-section (4) of section 27, the Authority shall conduct elections for filling in a casual vacancy occurring in the committee of a society for the remainder of the term of the committee, within six months of the occurrence of such vacancy.".

13. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 34 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**34. Prelude to the elections .-** (1) The Chief Executive Officer of every co-operative society shall send a written information in such manner, as may be prescribed, to the Authority to conduct election of its committee and its office bearers, six months before the expiry of the term of the existing committee. The Chief Executive Officer shall also send written information regarding a casual vacancy in the committee immediately after occurrence of such vacancy.

(2) It shall be the duty of the committee of a society to ensure that all the information, books and records, which the Authority may require for the purpose of election, are updated and made available in time to the Authority or a person authorized by it for the purpose.

(3) The committee of the society shall also ensure that the society provides all the assistance to the Authority, as may be required by it for conduct of the election.

(4) The process of election of co-operative society, once started shall not be stopped or postponed for any reason, save for a natural calamity or break down of law and order.".

14. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 54 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**54. Accounts and Audit.-** (1) Every society shall prepare and maintain its accounts of each financial year in the prescribed form and manner.

(2) Every society shall cause its accounts to be audited by an auditor or auditing firm appointed by the general body of the society from amongst the panel approved under sub-section (4):

Provided that no auditor or auditing firm shall be appointed for the audit of the accounts of the society for more than two years in continuation.

(3) The accounts of every society shall be audited within six months of the close of the financial year to which such accounts relate.

(4) For the purposes of sub-section (1), the Registrar shall prepare, approve and notify a panel, in the prescribed manner, of eligible auditors and auditing firms.

(5) Following shall be the minimum qualification and experience for auditors and auditing firms that shall be eligible for auditing accounts of the societies, namely:-

(a) in case of an auditor,-

(i) he must be a Chartered Accountant as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949) and should have at least three years post-qualification experience of auditing accounts; or

(ii) he must be a person in the service of the Co-operative Department of the Government of Rajasthan, appointed, or authorised, to conduct audit of the co-operative societies and must have diploma in co-operative audit awarded by the National Council for Cooperative Training, New Delhi; and

(b) in case of an auditing firm, it must be a firm of Chartered Accountants as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949) and should have at least three years experience of auditing accounts.

(6) Cost of the audit shall be decided and paid by the co-operative society concerned:

Provided that the fee of the auditors referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (5) shall be prescribed by the State Government.

(7) The society shall render, to the auditor or, as the case may be, auditing firm, access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to the society.

(8) Every person, who is, or has at any time been, an officer or an employee or an agent of the society and every member and past member of the society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the auditor or, as the case may be, auditing firm may require.

(9) The auditor or, as the case may be, auditing firm shall have the right to receive all notices, and every communication relating to the annual general meeting of the society and to attend such meeting and to be heard thereat.

(10) The auditor or, as the case may be, auditing firm shall prepare audit report in the Proforma prescribed by the Registrar and submit the audit report to the society.

(11) The auditor or, as the case may be, auditing firm auditing the accounts of a short term co-operative credit structure society shall endorse a copy of the audit report to the Reserve Bank of India, the National Bank and the Registrar.

(12) The Registrar shall ensure conduct of special audit of the Rajasthan State Cooperative Bank or a Central Cooperative Bank, if requested by the Reserve Bank of India, in the manner and form stipulated by the Reserve Bank of India and shall furnish the report to the Reserve Bank of India within the time stipulated.

(13) The society shall send a copy of the audit report along with compliance thereof after consideration

and approval of the same by the General Body of the society to the Registrar and to its affiliating society, if any.

(14) The Registrar shall submit to the State Government the audit report of the accounts of the Apex Cooperative Society and the State Government shall cause such report to be laid before the State Legislature.

(15) If the State Legislature resolves to make any direction or recommendation on the audit report laid before it, the society shall, as soon as possible, comply with the directions or, as the case may be, recommendations.".

15. Amendment of section 62, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In clause (iii) of section 62 of the principal Act, for the existing expression "five years", the expression "one year" shall be substituted.

16. Amendment of section 67, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 67 of the principal Act,-

(i) in clause (a), for the existing expression "loans other than short term and medium term loans", the expression "long term loans" shall be substituted;

(ii) the existing clause (b) shall be renumbered as clause (c) and before clause (c), so renumbered, the following shall be substituted, namely:-

"(b) Land Development Banks advancing short term and medium term loans under the special schemes approved by the National Bank or for purposes specially approved by the State Government for this purpose on such terms and conditions, as the State Government may decide;"; and

(iii) in clause (ii) of the Explanation, the existing expression "and", appearing at the end, shall be deleted and thereafter, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(ii-A) "long term loan" means a loan which is neither a short term nor a medium term loan; and".

17. Amendment of section 74, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 74 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**74. Mode of dealing with applications for loan.-** When an application for a loan is made for any of the purposes mentioned in section 67, the Land Development Bank shall consider such application after the due inquiry and in such manner as may be prescribed.".

18. Amendment of section 104, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- The existing clause (d) of sub-section (2) of section 104 of the principal Act shall be deleted.

19. Amendment of section 105, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In clause (a) of sub-section (10) of section 105 of the principal Act, for the existing expression "sub-section (5) of section 28", the expression "sub-section (12) of section 28" shall be substituted.

20. Amendment of section 109, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 109 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) in clause (a), for the existing expression "sub-section(2)", the expression "sub-section (3)" shall be substituted;

(b) in clause (c), for the existing expression "make deductions", the expression "make deductions and pay the amount so deducted" shall be substituted;

(c) in clause (h), for the existing expression "30, 31, 54, 55, 60 or 63", the expression "30, 31, 55, 60, 63 or 122-A or to the auditor or auditing firm appointed under section 54" shall be substituted;

(d) for the existing clause (r), the following shall be substituted, namely:-

"(r) any person wilfully or without any reasonable excuse disobeys any summons,

requisitions or lawful written order issued under the provisions of this Act; or"; and

(e) after clause (r), so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(s) any person, who before, during or after the elections of members of the committee or its office bearers, adopts any corrupt practice."; and

(ii) in sub-section (2),-

(a) for the existing clause (r), the following shall be substituted, namely:-

"(r) if it is an offence under clause (r) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both ; "; and

(b) after clause (r), so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(s) if it is an offence under clause (s) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both .".

21. Insertion of section 122-A, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing section 122 and before the existing section 123 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**122-A. Filing of returns.-** Every society shall, within six months of the close of every financial year, file the following returns to the Registrar, namely:-

(a) annual report of its activities;

(b) its audited statements of accounts;

(c) plan for surplus disposal, as approved by the general body of the society;

(d) list of amendments to the bye-laws of the co-operative society, if any;

(e) declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of elections, when due; and

(f) such other information, as the Registrar may require, from time to time.".

22. Amendment of Schedule-B, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing sub-paragraph (d) and before the existing sub-paragraph (e) of paragraph (1) of the Schedule-B of the principal Act, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(da) the norms regarding minimum essential utilisation of the services of the society or regarding minimum essential attendance of the meetings of the society or regarding other dealings with the society, which shall be fulfilled by a member; ".

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

37

Government Central Press, Jaipur.